

कोटा
वन संरक्षक
(एल.एस.रज्जवाल)

01. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
02. सहायक वन संरक्षक, कोटा/सुलतानपुर।
03. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा/इटवा।
04. विधि शाखा, कार्यालय कोटा।

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
क्रमांक:-एफ ()लक0/उवसं/कोटा/2018-19/

दिनांक:

कोटा
वन संरक्षक
(एल.एस.रज्जवाल)

भवदीय

संगन-उक्तानुसार (3 प्रस्ताव)

कार्यवाही हेतु अधिलेख किया जा रहे है।

अतः उक्त प्रकरण को पुनः विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र-11 की पूर्ति करते हुये संगन पत्रादि की छायाप्रतियां ऑन लाईन कर, इस कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव आवश्यक पाई गई है।

निरीक्षण करा लिया गया है जो वन विभाग के लिये प्रबंधकीय एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त 1.78 ख. नं. 174 रकबा 0.60, ख. नं. 10 रकबा 0.56 (है0) प्रस्तावित की गई है। इस गैर वनभूमि का मौका तहसील पीपल्दा ग्राम खेडली नोन्रा के खसरा नं. 40 रकबा 0.74, ख. नं. 42 रकबा 1.01, ख. नं. 173 रकबा 07.11.2017 के अनुसरण में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा समुल्लेख गैर वनभूमि जो वन विभाग को क्रमशः व अन्य के अन्तर्गत श्रीमान के पत्र क्रमांक एक 10(637)विधि/समुवसं/2017-18/8223 दिनांक 1170/2016 इन एस.बी.सि.रि.पि.सं. 19970/2013 संत श्री आसाराम गौशाला, समिति बनाराम श्री ओ.पी.मीना विषयान्तर्गत निवेदन है कि, उक्त प्रकरण में एस.बी.सि.विल अवमानना यादिका संख्या महीदय,

21.06.2018.

क्रमांक एक 13(वन संरक्षक)समुवसं/2015-16/5114 दिनांक 17.01.2018,4859 दिनांक संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एक 10(637)विधि/समुवसं/2017-18/8223 दिनांक 07.11.2017, वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

विषय:-संत श्री आसाराम जी गौशाला समिति लखावा, कोटा को एक.सी.ए. 1980 के तहत 4.69 है0

कोटा।

साम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,

निमित्त:-

क्रमांक:-एफ ()लक0/उवसं/कोटा/2018-19/ 6381
दिनांक: 27-6-18
1। कार्यालय वन संरक्षक, कोटा (राज.)।।

Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-def.kota.forest@gmail.com